

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 33/प्रेसनोट/2021

17 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

गैरेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 17.1.2021 को प्र०नि० बरदह विनोद कुमार मयहमराह का० देवश यादव, का० कृष्णचन्द्र, का० विपिन सिंह, म०का० पारुल मिश्रा द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन करते हुये ग्राम दुबरा में मौजूद थे उसी दौरान मुखबीर ने आकर सूचना दिया कि मु०अ०स० 230/2020 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त करिया पुत्र मक्कू इस समय बरौना बाजार में मौजूद है तथा कही जाने के फिराक में वाहन का इन्तजार कर रहा है इस सूचना पर प्र०नि० मय हमराहियान के साथ बरौना बाजार पहुंचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम करिया उर्फ नसीम पुत्र मक्कू उर्फ मकबुल ग्राम सोफिगढ़ थाना अहिरौला आजमगढ़ बताया। पकड़े गये व्यक्ति को मुकदमा उपरोक्त का बोध कराते हुये बरौना बाजार में समय 7.50 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि गौ तस्करी कर अपने परिवार का पोषण करता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

करिया उर्फ नसीम पुत्र मक्कू उर्फ मकबुल ग्राम सोफिगढ़ थाना अहिरौला आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० -237/15 धारा- 3/5ए/8 गो०नि०अ० 11 पशुकुरता अधि० थाना बरदह आजमगढ़
2. 230/2020 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० 1989 थाना बरदह, आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

प्र०नि० बरदह श्री विनोद कुमार मय हमराह का० देवश यादव का० कृष्णचन्द्र का० विपिन सिंह म०का० पारुल मिश्रा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी

एक नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा० राजेश तिवारी व मा० न्यायालय सी०जे०एम आजमगढ़ से प्राप्त आदेश मु०न० 7392/03 वारण्टी अभियुक्त विनोद पुत्र मनराज सा० शाहगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़ के गिरफ्तारी हेतु आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र द्वारा मु०न० 7392/03 न्यायालय सी०जे०एम आजमगढ़ से सम्बंधित वारण्टी अभियुक्त विनोद पुत्र मनराज निवासी ग्राम शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष की गिरफ्तारी

हेतु दबिश देते हुये वारण्टी अभियुक्त को उसके घर से दिनांक 17.01.2021 समय 12.32 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण**

प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

हे0का0 रामप्रकाश चौधरी थाना सिधारी आजमगढ़

का0 अमलेश सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

का0 मनीष कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

का0 इन्द्रजीत गोड़ थाना सिधारी आजमगढ़

का0 श्याममणि थाना सिधारी आजमगढ़